

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्रमांक-04/2023

रामानुजगंज, दिनांक 03.07.2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि-02.08.2023,  
दिन-बुधवार के संध्या 05:00 बजे तक

बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) जिला न्यायालय स्थापना के अन्तर्गत रिक्त निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. रिक्त पदों का विवरण

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अ0ज0जा0				अ0जा0				अ0पि0वर्ग				अनारक्षित पद			
		मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
वाहन चालक	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


टीप :-

1. आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
2. विज्ञापित रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के WPC No. 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

अ- वाहन चालक पद के लिए- वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (19500-62000/-)

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- (ii) वैध ड्राईविंग लायसेन्स तथा समस्त प्रकार के वाहनों के चालन का अनुभव होना अनिवार्य है।

  
अध्यक्ष  
समिति  
जिला एवं सत्र न्यायालय  
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

टीप :- परीक्षा केन्द्र का नाम एवं समय की जानकारी अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के दो दिवस पूर्व तक यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) से कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं अथवा जिला न्यायालय के वेबसाईट [https://districts.ecourts.gov.in/balrampur\\_chg](https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg) से डाउनलोड करके स्वयं का फोटो चस्पा करते हुए वैध पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित हो सकते हैं।

## 2. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

- (1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।  
(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (2) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
- (3) आवेदक को अच्छे चरित्र और स्वस्थ मन एवं शरीर का होना चाहिए और ऐसी मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहिए जो उसे आवेदित पद के अयोग्य बनाता हो।
- (4) आवेदक का एक से अधिक जीवित पति/पत्नि नहीं होना चाहिए।
- (5) आवेदक को नैतिक अधमता (Moral Trupitude) से युक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।

### (3) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

- 3 (एक)(1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 3 (एक)(2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र.दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 3 (एक)(3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम



आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

- 3 (एक)(4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण :-** छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

- 3 (एक)(5)- ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 3 (एक)(6)- महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

- 3 (एक)(7)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

- 3 (एक)(8)- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- 3 (एक)(9)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

- 3(एक)(10)- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक- एफ-3-2-/2002/1/3, दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है।

- 3(एक)(11)- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक- 550.2532/1(3)/80, दिनांक 12.02.1981 के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

  
अध्यक्ष

चयन समिति 08/01/2023

जिला एवं सत्र न्यायालय

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

- 3 (दो)(1)- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 3 (दो)(2)- विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 3 (दो)(3)- शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.19-2/2005/1-3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**टीप :-**

(1) बिन्दु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

**उदाहरण :-** यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

**महत्वपूर्ण -** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

  
अध्यक्ष  
चयन समिति

जिला एवं सत्र न्यायालय  
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)



## आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- 1- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2023, दिन-बुधवार की संध्या 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम- "वाहन चालक" लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) पिन कोड- 497220 के पते पर प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 02.08.2023, दिन-बुधवार की संध्या 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। अंतिम तिथि उपरांत एवं अन्य किसी माध्यमों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पांच-पांच रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एवं स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 2- जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा पांचवीं/आठवीं/दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- 3- ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 4- डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 5- ई-मेल अथवा फैंक्स के माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 6- बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

## चयन प्रक्रिया

- 1- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) को होगा।
- 2- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3- चयनित उम्मीदवार की सेवा पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से किए जाने के अध्यक्षीन होगी।
- 4- छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08.03.2021 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति तीन महीने की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

5- छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र क्रमांक-372/260/वि/नि/चार/2020, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पद पर 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम पर वेतन नियत किया जावेगा।

6- चयन प्रक्रिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

### अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।

### नियुक्ति हेतु चयन विधि

#### 1. वाहन चालक-

##### (अ) कौशल परीक्षा

वाहन चालक के पद हेतु 50 अंकों का कौशल परीक्षा लिया जावेगा। जो अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उसे चयन के लिये अनर्ह माना जावेगा।

##### (ब) साक्षात्कार

वाहन चालक के पद हेतु अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिसमें अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जायेगा। कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट-लिस्ट तैयार की जायेगी। मेरिट-लिस्ट के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। चयन सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि, योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। परंतु ऐसे उम्मीदवारों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि, नियुक्तकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।



अध्यक्ष  
चयन समिति

जिला एवं सत्र न्यायालय

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)



## अन्य आवश्यक सूचनाएं


(अ) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

(ब) उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीद्वारों की पृथक-पृथक सूची जिला न्यायालय के वेबसाईट [https://districts.ecourts.gov.in/balrampur\\_chg](https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg) एवं सूचना-पटल पर उपलब्ध करायी जायेगी। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति सात दिवस के भीतर दावा संबंधित दस्तावेज के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(स) अभ्यर्थियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में स्वयं का मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करते समय मौखिक रूप से निर्देशित किये जाने पर मास्क हटाकर अपनी पहचान दिखाई जावेगी।

योग्य पाये गये उम्मीद्वारों को उनका प्रवेश पत्र डाक द्वारा उनके पते पर भेजा जावेगा, किन्तु समय पर उन्हें प्राप्त न होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जिला न्यायालय के वेबसाईट [https://districts.ecourts.gov.in/balrampur\\_chg](https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।



अध्यक्ष  
चयन समिति  
जिला एवं सत्र न्यायालय  
जिला नरएवं सत्र न्यायालय (छ.ग.)

बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

03/07/2023

अनुमोदित



**District & Sessions Judge**  
**Balrampur at Ramanujganj (C.G.)**

## (वाहन चालक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु)

## //आवेदन पत्र//

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

आवेदक का  
स्वहस्ताक्षरित  
नवीनतम रंगीन  
पासपोर्ट साईज  
का फोटो

1. आवेदित पद का नाम "वाहन चालक"
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) .....  
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) .....
3. लिंग- पुरुष, संकेतांक-1, महिला संकेतांक-2
4. पिता/पति का नाम .....
5. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता .....  
(हिन्दी में) .....
- ब) स्थायी पता .....
6. अ) जन्म तिथि - अंको में   
शब्दों में .....
- ब) दिनांक 1/1/2023 को आयु:- वर्ष  माह  दिन
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नहीं   
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं   
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।
10. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं   
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)



11. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक  दिनांक
12. रोजगार कार्यालय का नाम .....
13. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6

14. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं   
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
15. क्या आप निर्धारित आयुसीमा में छूट चाहते हैं? हां/नहीं
16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-
1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....

### घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है और यदि वे झूठे या गलत पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति के किसी भी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदक का हस्ताक्षर  
नाम एवं पूरा पता